ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली– 110002

मि.सं.15–3/2012(ए.आर.सी.) खण्ड–।।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/गैर सरकारी एजेन्सियों (एन.जी.ए.), जिन्हें सामाजिक मामलों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमाणित कार्य संपन्न करने का कीर्तिमान उपलब्ध है, शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के बारे में उनकी अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु प्रस्ताव आंमन्त्रित करता है। ऐसे एन.जी.ओ./एन.जी.ए. के पास न्यूनतम दो वर्ष का राष्ट्रीय स्तर प्लान इन्डिया कार्यक्रमों का अनुभव होना चाहिये। ऐसे एन.जी.ओ./एन.जी.ए. अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई) को उस डिब्बे में डाल दें जिसे यूजीसी मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया है अथवा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा, डॉ0 मंजु सिंह, संयुक्त सचिव, कक्ष सं0 226, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली–110002 को एक सील बन्द लिफाफे में भेज दें जिस पर स्पष्ट रुप से अंकित हो "ई.ओ.आई" रैगिंग से संबद्ध गतिविधयों के लिये एन.जी.ओ./ऐजेन्सी का चयन" ऐसे ई.ओ.आई जो कि अन्तिम तिथि के पश्चात अथवा ई–मेल आदि के द्वारा प्राप्त होंगे, उन्हें सरसरी तौर से अस्वीकार कर दिया जाएगा। जिन एन.जी.ओ./एन.जी.ए. ने पूर्व में दिये गये विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था, वे अब नये सिरे से आवेदन करे, आवेदन प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि **28.11. 2013** है। (अपराह्न 3:00 बजे तक)

ई.ओ.आई. का विवरण योजक, कृपया "टेन्डर" के अन्तर्गत यूजीसी वेबसाइट www.ugc.ac.in पर अवलोकन करें।

सचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

रूचि की अभिव्यक्ति

रैगिंग विरोधी (एन्टी रैगिंग) हैल्पलाइन 24X7 के परिवीक्षण हेतु गैरसरकारी संगठन गैर सरकारी अभिकरण (NGO/NGA) के चयन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) का आमंत्रण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पंजीकृत गैरसरकारी संगठनों (NGO)/गैरसरकारी अभिकरणों (NGA) से रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन एवं सहसंबद्ध डाटाबेस का परिवीक्षण करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। NGO/NGA से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील सं. 887/2009 के निर्देशानुसार एवं यूजीसी, अन्य सांविधिक परिषद एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रैगिंग संबंधी घटनाओं हेतु गठित समिति, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के गैरअनुपालन एवं यूजीसी के रैगिंग विरोधी विनियम के उल्लघन के संबंध में सूचनाएं प्रदान करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऐसे प्रतिष्ठित NGO/NGA से अभिव्यक्ति की अभिरूचि (EOI) आमंत्रित करता है जो सामाजिक क्षेत्रों में अधिमानतः शैक्षिक संस्थानों में व्याप्त रैगिंग की समस्या का निराकरण करने का दक्षतापूर्ण अनुभव रखते हों। उस NGO/NGA के पास राष्ट्रीय स्तर/ पैन भारतीय अभियान चलाने का न्यूनतम 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो। जिन्हें सरकार में राष्ट्रीय स्तर/ गैर सरकारी कार्यक्रमों में समरूप कार्य करने का पूर्व अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन NGO/NGA को वरीयता प्रदान की जाएगी जिनके पास पर्याप्त एवं सक्षम मानव संसाधन विद्यमान हैं या जिनके पास समरूप गतिविधियों में समरूप कार्यों के लिए अनुभव है तथा जिनके पास विख्यात अनुभवी स्वयंसेवी उपलब्ध हैं। तथा ऐसे एन.जी.ओ/एन.जी.ए. स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों सहित अपने प्रस्ताव को यूजीसी मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर स्थित डिब्बे में डाल दें अथवा इसे स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा डा0 (श्रीमती) मंजु सिंह, संयुक्त सचिव, कक्ष सं. 226, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 के सीलबन्द लिफ़ाफे में भेजें जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित हो ''रैगिंग विरोध प्रतिविधियों के परीवीक्षण के लिए एन.जी.ओ./एन.जी.ए. के चयन के लिए अभिव्यक्ति अभिरूचि () अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले अथवा ई-मेल द्वारा प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। चयनित सूचि में आने वाली एजेन्सियों को नियत अवधि के दौरान प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जाएगा। सूची के अनुसार चयनित प्रत्याशियों को भी अपने प्रस्तावों को उस समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जो समिति इस उद्देश्य से गठित की गई है।

अनुलग्नक– I

संस्थानों के अखिल भारतीय स्तर के डाटाबेस एवं रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन के परिवीक्षण हेतु NGO/NGA की नियुक्ती संबंधी विचारार्थ विषय

(क) **प्राथमिक कार्य**

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील सं. 887/2009 के निर्णयानुसार चयनित NGO/NGA से निम्न कार्य अपेक्षित हैंः

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील सं. 887/2009 में दिए गए निर्देशों के गैरअनुपालन एवं यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषद् के विनियम के उल्लंघन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रैगिंग संबंधी घटनाओं हेतु गठित समिति एवं यूजीसी के विनियामक निकायों को सूचनाएँ प्रदान की जाएँगी।

(ii) यह परिवीक्षण करना एवं रिपोर्ट करना एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि क्या प्रत्येक छात्र एवं उसके अभिभावकों/सरंक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों में से डाटाबेस निर्मित किये गए हैं तथा भारत में स्थित सभी संस्थानों ने इलैक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उनका भंडारण किया है।

(iii) संबंद्ध संस्थानों द्वारा रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन के डाटाबेस आधार पर प्राप्त एवं अग्रसारित की गई शिकायतों के बारे में उन संबद्ध संस्थानों ने कौन से उचित कदम उठाये हैं, तथा उनकी क्या स्थिति है।

(iv) NGO/NGA सभी प्राथमिक एवं संबद्ध गतिविधियों की रिपोर्ट यूजीसी को प्रत्येक पखवाड़े पर प्रेषित करेंगे।

(ख) **संबद्ध गतिविधि (सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार)**

(i) क्या शैक्षिक संस्थानों ने अनुशासन का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया है तथा क्या शैक्षिक संस्थानों ने इस आशय का स्पष्ट संदेश दिया है कि रैगिंग के किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा रैगिंग का कोई भी कृत्य सूचना से रहित अथवा दण्ड रहित नहीं रहेगा।

द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अतिरिक्त, संस्थान द्वारा तरीके एवं उपाय को सूत्रबद्ध करने के लिए की गई कार्रवाई।

(xi) रैगिंग की लाइलाज घटनाओं एवं संगीन आपराधिक घटनाओं के संबंध में संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई तथा ऐसे मामलों को पुलिस के संज्ञान में लाना ताकि एक सुधारात्मक प्रवृति जाग्रत हो, न कि उन छात्रों के साथ अपराधियों के सदृश व्यवहार किया जाए।

उपरोक्त परिवीक्षण संबंधी गतिविधियाँ सुझाव के रूप में दर्शायी गई है। इस संबंध में, विस्तृत परिवीक्षण गतिविधियों को RFP में सूचित किया जाएगा।

(ग) अभिकरण द्वारा TOR पर की गई टिप्पणियाँ:

अभिकरण, उपरोक्त TOR पर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हैं, TOR के प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

(घ) कवरेजः

परिवीक्षण कार्य, सभी राज्यों/भारत के संघशासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है। परिवीक्षा के इस उद्देश्य के अंतर्गत, वे सभी शैक्षिक संस्थान आवृत्त होंगे, जो यूजीसी के विचाराधीन हैं। कवरेज की प्रतिशतता को अभिकरण द्वारा EOI में प्रस्तावित किया जा सकता है।

(ड.) संलिप्तता की अवधिः

चयनित अभिकरण पर प्रारंभ में, एक वर्ष की नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिस अवधि को कार्य निष्पादन/अपेक्षा के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है।

नोटः (i) कृपया यथावश्यक कॉलम जोड़ें:

(ii) अभिकरण का कार्यालय अनिवार्य रूप से दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होना चाहिए। यदि उस का कोई कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है, तो उस स्थिति में एक आश्वासन पत्र दिए जाने के लिए अनुरोध किया जाए कि जैसे ही अभिकरण को कार्य सौपा जाता है, उसके तुरंत पश्चात् समस्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित कार्यालय खोल दिया जाएगा।

(6) कोई भी अन्य विवरण (यदि संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाना वांछित हो)

खण्ड खः राष्ट्रीय स्तर के परिवीक्षण एवं मूल्याँकन गतिविधियों के संचालन का तीन वर्ष का अनुभव

(1) NGO/NGA अभिकरण, तीन वर्ष का अनुभव समर्थित दस्तावेजों यथा सदस्यों से अवार्ड एवं कार्यसंपन्नता पत्र की प्रतियों सहित, आवश्यक रूप से निम्न प्रारूप अनुसार दर्शायेगाः

गत दो वर्ष की अवधि में सामाजिक एवं संबद्ध क्षेत्रकों में संपन्न कार्य के परिवीक्षण एवं मूल्याँकन का विवरणः

(क) क्षेत्रक का नामः.....

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	सदस्यों का नाम	कार्य की लागत (₹)	प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	यदि साक्ष्य संलग्न है (हाँ/नहीं)

(ख) क्षेत्रक का नामः.....

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	सदस्यों का नाम	कार्य की लागत (₹)	प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	यदि साक्ष्य संलग्न है (हाँ/नहीं)

उस समय तक विचाराधीन नहीं रखा जायेगा जब तक कि EOI के साथ दस्तावेज़ के रूप में वे साक्ष्य संलग्न न हों जिनमें EOI के अन्तर्गत विचार करने के लिए की गई व्यवस्था को दर्शाया गया हो।

(EOI में रूचि प्रकट कर रहे अभिकरण अपने संगठन के शीर्षनामे के ऊपर एक प्रमाणपत्र संलग्न करें जो निम्न प्रारूप के अनुसार हो।)

''24X7 आधार पर एन्टी रैगिंग हेल्पलाइन परिवीक्षण एवं मूल्यांकन'' हेतु रूचि की अभिव्यक्ति''

प्रमाण–पत्र

मैं, ... इस संगठन में .....पद पर कार्यरत हूँ तथा यह प्रमाणप्रत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हूँ, प्रमाणित करता हूँ कि:

(क) हमने, इस विज्ञापन का समस्त विवरण एवं संबद्ध EOI के लिए तमाम दस्तावेज़ों को पढ़ लिया है तथा हम इस EOI के अनुसार पात्रता संबधी समस्त मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(ख) अपने EOI के साथ हमने सभी सापेक्ष दस्तावेज़ संलग्न कर दिये हैं।

(ग) रिकार्ड के अनुसार, हमारे EOI के विवरण एवं अन्तर्वस्तु अधिप्रमाणित है एवं हमारे अभिकरण द्वारा निष्पादित वास्तविक रिकॉर्ड पर आधारित है।

(ड़) हमने यह समझ लिया है कि ऐसा पाया जाने की स्थिति में कि हमारी एजेन्सी किसी निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं कर रही है अथवा सापेक्ष विवरण/समर्थन करने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं, तो अपने स्पष्टीकरण के लिए हमें समय प्रदान नहीं किया जाएगा तथा EOI में मौजूद दस्तावेज़ों के आधार पर ही इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....

पद.....

(कृपया रबड़ की मोहर लगाये)

तिथिः

EOI भेजने के लिए अभिकरण हेतु दिशानिर्देश

योग्यता मानदण्ड के अनुपालन हेतु जाँच सूची

क्र.सं.	योग्यता मानदण्ड	अपेक्षित साक्ष्य	जाँच सूची	पृष्ठ संदर्भ
1.	NGO/NGA, कंपनी अधिनियम (1956), अनुच्छेद 25 / सार्वजनिक न्यायस / सोसायटी अधिनियम, 31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए भारत में पंजीकृत हों।	निगमन/पंजीयन के प्रमाणपत्र की प्रति	हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या << >>
2.	क. NGO/NGA के पास गत दो वर्षों (2010-11 एवं 2011-12) का रैगिंग विरोधी गतिविधियों के निरन्तर परिवीक्षण का 31.10.2013 तक अनुभव होना चाहिए।	NGO/NGA एक स्व घोषणा प्रस्तुत करेगा जो बोली लगाने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगी	हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या << >>
	ख. NGO/NGA के पास डाटा बेस/रिकार्ड, निवेशकर्ताओं का होना चाहिए अर्थात महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों आदि का तथा इन संस्थानों में रैगिंग/पृकोष्ठों के बारे में विवरण प्राप्त करें	यू.आर.एल. अथवा सी.डी.	हाँ/नहीं	
	ग. उपरोक्त डाटासेट को संचालित करने वाला सॉफ्टवेयर	यू.आर.एल. अथवा सी.डी.	हाँ/नहीं	
3.	NGO/NGA के पास गत तीन वित्त वर्षो (2009-10, 2010-11 एवं 2011-12) के दौरान प्रति टर्न ओवर औसत कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए।	गत तीन वित्तीय वर्षो के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (समग्र टर्नओवर दर्शाते हुए)	हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या << >>